

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**अधिसूचना**

पटना, दिनांक :- 22/01/19

सं० सं०-17/ए 3-01/2019 - 49(17) /स्वा०, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में सीनियर रेजिडेंट के टेन्थोर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के निश्चेतना विभाग में निम्न प्रकार से नियुक्ति एवं पदस्थापित किया जाता है :-

निश्चेतना विभाग				
बि०स्वा०से०				
क्र० सं०	नाम	आवेदन संख्या	आरक्षण कोटि	पदस्थापन
1	शत्रुघ्न कुमार	CR201800365	अनारक्षित (अ०जा०)	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
पी०जी०एस०				
1	राजा अविनाश	CR201800228	अनारक्षित (पि०व०)	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
2	अमित अभिषेक	CR201800636	अनारक्षित	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
3	अजीत कुमार सिंह	CR201801053	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय।
4	दीपक कुमार	CR201800494	अनारक्षित (अ०पि०व०)	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय।
5	प्रवीण कुमार सिंह	CR201800231	अनारक्षित (पि०व०)	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
6	राकेश कुमार	CR201800619	अनारक्षित (अ०पि०व०)	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया।
7	रबीन्द्र कुमार	CR201800006	पिछड़ा वर्ग	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा
8	नीरज कुमार	CR201800009	अनारक्षित (अ०पि०व०)	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया
9	जीतेन्द्र कुमार सिंह	CR201800764	अनारक्षित	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी
पी०जी०ओ०				
1	कुमार शैलेश	CR201800977	अनारक्षित	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
2	डॉ० श्रेया दीक्षित	CR201800737	अनारक्षित	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
3	मदीहा शदाब	CR201800324	अनारक्षित	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना

4	मनीषा	CR201800844	अनारक्षित	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी
5	पूजा कुमारी	CR201800687	अनारक्षित (अ0जा0)	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया
6	स्मृति आनन्द	CR201800739	अनारक्षित	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
7	ताबीश जावेद	CR201801084	अनारक्षित	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी
8	संजय कुमार अमहतो	CR201800961	अनारक्षित	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा
9	आदित्य कुमार केजरीवाल	CR201800192	अनारक्षित (पि0व0)	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा
10	अंशु	CR201800177	अनारक्षित	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया।

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

3. संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्चोर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जायेगी।

4. बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान लेवल-9 अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।

5. टेन्चोर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे अपने पैतृक संवर्ग में स्वतः वापस हो जायेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्चोर समाप्ति के पश्चात् उस टेन्चोर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।

6. सभी नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अधिकतम 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण-पत्र यथा क्रीमिलेयर प्रमाण-पत्र/मूल शपथ-पत्र/मूल विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।


7. योगदान के समय संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट द्वारा समर्पित वांछित प्रमाण-पत्र यथा क्रिमिलेयर प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र को जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।

8. नये सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के पदस्थापन के उपरान्त योगदान के पश्चात् संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक सबसे पुराने पदस्थापित सीनियर रेजिडेंट को

49/177  
22/01/19 ✓

आवश्यकतानुसार कार्य मुक्त कर देंगे। यदि किसी पुराने सीनियर रेजिडेन्ट के मामले में न्यायिक वाद चल रहा हो तो उस स्थिति में प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा विभाग से परामर्श प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(कौशल किशोर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 17/ए 3-01/2019- 49(177) पटना, दिनांक :- 22/01/19

- प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0एवह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल/मगध प्रमंडल/तिरहुत प्रमंडल/दरभंगा प्रमंडल/भागलपुर प्रमंडल/कोशी प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/दरभंगा/गया/मुजफ्फरपुर/नालंदा/भागलपुर/पश्चिमी चंपारण/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, (कौशल किशोर)/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,08 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।